विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 1285 दिनाक : 24/5/17

प्रति,

प्राचार्य,
स्वामी विवेकानंद शिक्षा महाविद्यालय,
एम.आई.टी. चौराहा,बाय पास रोड, जिला–मंदसौर।

विषय : **विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।**

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / 108 एवं 109,दिनांक 07.05.2016

शिक्षा सत्र 2017–18 में नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / सम्बद्धता / सम्बद्धता निरंतरता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,से प्राप्त अनुमति के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.05.2017 में प्रस्तुत किया गया, उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण मे महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :–

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एड.–प्रथम वर्ष	50
02.	बी.ए.बी.एड.–प्रथम वर्ष	50

शर्ते :–

1. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों का चयन करायें।
2. महाविद्यालय भवन निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण करें।
3. पुस्तकों के क्रय करने एवं भुगतान की रसीदें 03 माह में विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।
4. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3)(…) के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम हेतु रू.50,000/– (अक्षरी पचास हजार रूपये मात्र),की इण्डामेंट फण्ड की धनराशि की एफ.डी.आर.कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाकर मूल रसीद विश्वविद्यालय लेखा विभाग में जमा करें। यदि उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर.पूर्व में जमा करा दी गई हो तो,रसीद प्रस्तुत करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से अतिशिघ्र पूर्ण करें,अन्यथा अस्थाई सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 1286

प्रतिलिपि:–

दिनांक : 24/5/17

1. क्षेत्रिय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानसरोवर, श्यामला हिल्स...
2. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन भोपाल
3. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
4. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
5. प्राचार्य,सम्बंधित अग्रणी महाविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र।
6. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव,परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय...
7. समन्वयक,ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
8. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 287

दिनांक 24/5/17

प्रति,

प्राचार्य,
श्री जी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,
महू–नीमच बायपास रोड,
मंदसौर(म.प्र.)।

विषय : **विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।**

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / 124 दिनांक 30.03.2017

शिक्षा सत्र 2017–18 में नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / सम्बद्धता / सतद्धता - [illegible] प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,से प्राप्त [illegible] के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा [illegible] निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को [illegible] स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.05.2017 में प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में [illegible] को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में [illegible] सबद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एड.–प्रथम वर्ष	100

शर्ते :-

1. नवीन महाविद्यालय में मल्टीपरपस एक्टीविटी हाल एवं कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है। छात्रों के लिये महाविद्यालय परिसर में स्थित अन्य भवन (नर्सिंग कॉलेज) में इसकी व्यवस्था की गई है। महाविद्यालय उपरोक्त लिखित इन कक्षों का निर्माण यथा शीघ्र पूर्ण करे।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3)(1) के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम हेतु रु 25,000/ (अक्षरी पच्चीस हजार रूपये मात्र),की इन्डाउमेंट फण्ड की धनराशि की एफ.डी.आर [illegible] विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाकर मूल रसीद [illegible] लेखा विभाग में जमा करे। यदि उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर.पूर्व में जमा करा दी गई [illegible] प्रस्तुत करे।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से अतिशिघ्र पूर्ण करें,अन्यथा अस्थाई सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

Rol

कुलसचिव

O/C

निरंतर . 02

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 1288 दिनांक : 24/5/17

प्रतिलिपि:—

1. क्षेत्रिय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स,भोपाल।
2. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
3. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
4. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
5. प्राचार्य,संबंधित अग्रणी महाविद्यालय,विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र।
6. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव,परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
7. समन्वयक,ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
8. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/1358 दिनांक : 27.5.017

प्रति,

प्राचार्य,
एम्पल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,
नगर परिषद्, उन्हेल, जिला–उज्जैन।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/177,दिनांक 03.05.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.05.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि, एम्पल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,उन्हेल,जिला–उज्जैन में सत्र 2017–18 से बी.कॉम.–प्रथम वर्ष(प्लेन),बी.एससी.–प्रथम वर्ष(भौतिक, गणित,कम्प्यूटर विज्ञान,आ.पा.)पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017–18 से बी.कॉम.–प्रथम वर्ष(प्लेन),बी.एससी.–प्रथम वर्ष(भौतिक,गणित,कम्प्यूटर विज्ञान,आ.पा.) पाठ्यक्रम की सम्बद्धता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर नितांत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–2018 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :–

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.कॉम.–प्रथम वर्ष(प्लेन)	60
02.	बी.एससी.–प्रथम वर्ष(भौतिकी,कम्प्यूटर विज्ञान, गणित,आ.पा.)	60

शर्तें :–01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.05.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।

02. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

03. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में केवल दस(10) कम्प्यूटर है,पन्द्रह(15) कम्प्यूटर प्रयोगशाला में रखे जाये। प्रयोगशाला में छात्रों के बैठने की व्यवस्था ठीक की जाये।

04. भौतिकी (Physics) प्रयोगशाला को बडे आकार के कमरे में स्थापित किया जाये। बी.एसी. प्रथम वर्ष में प्रेक्टिकल हेतु लगने वाले समस्त उपकरण छात्रों के संख्या के अनुपात में क्रय कर रखे जाना सुनिश्चित करें।

05. पुस्तकालय में सात (07) अलमारियॉ पुस्तकों के रख रखाव हेतु क्रय किये जाये।

06. प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय की 20–20(बीस–बीस) पुस्तकें और क्रय कर पुस्तकालय में रखा जाना सुनिश्चित करें।

निरंतर...02

07. महाविद्यालय में छात्रों को शुद्ध पेय जल व्यवस्था हेतु एक ओर बडे आकार का वाटर कूलर फिल्टर सहित क्रय कर रखा जाना सुनिश्चित करें।

08. महाविद्यालय परिसर में वृक्षा रोपण किये जाये।

09. महाविद्यालय के छात्रों को खेलने हेतु खेल सामग्री क्रय कर उपलब्ध कराया जाये।

10. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3) (1) के अनुसार रू.25,000+15,000=40,000/–(अक्षरी चालीस हजार रूपये मात्र) की इण्डोमेंट फण्ड की धनराशि की एफ.डी.आर.कुलसचिव,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाकर मूल रसीद विश्वविद्यालय लेखा विभाग में जमा करें। यदि उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर. पूर्व में जमा करा दी गई हो तो, रसीद प्रस्तुत करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/1359 दिनांक : 27.5.017.

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
4. प्राचार्य,संबंधित अग्रणी महाविद्यालय,विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र,उज्जैन।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव,परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
7. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ।

उपकुलसचिव(अकादमिक)